

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-6/डी०-पी०ए०सी०-06/03/2014- 156

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सारण/गोपालगंज/कैमूर/जमुई/रोहतास/प० चम्पारण/बांका/
भागलपुर/सिवान/बक्सर/पूर्णियां/कटिहार/किशनगंज/अररिया।

पटना, दिनांक- 16.03.18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 2015-16 में शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत एवं विमुक्त राशि में से (1) कुक्कुट पालन (Backyard poultry) - ₹ 131.30 लाख (2) दुध उत्पादन (Dairy farming) - ₹ 115.76 लाख (3) मत्स्य विकास (Fishery development) - ₹ 57.90 लाख अर्थात् कुल विमुक्त राशि ₹ 304.96 लाख (तीन करोड़ चार लाख छियानवें हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार के स्वीकृत्यादेश सं०-154 दिनांक-15.03.18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए वर्ष 2015-16 में शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त योजनावार स्वीकृत एवं विमुक्त राशि में से (1) कुक्कुट पालन (Backyard poultry) - ₹ 131.30 लाख (2) दुध उत्पादन (Dairy farming) - ₹ 115.76 लाख (3) मत्स्य विकास (Fishery development) - ₹ 57.90 लाख अर्थात् कुल विमुक्त राशि ₹ 304.96 लाख (तीन करोड़ चार लाख छियानवें हजार) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि से मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष-0202-अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-पी०ए०एम०एस० कोड-TSP 1- विपत्र कोड-44-2225021020202- विषय शीर्ष 0202.21.01-सामग्री और आपूर्ति मद में कुल ₹304.96 लाख (तीन करोड़ चार लाख छियानवें हजार) मात्र विकलनीय होगा।

3- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-157 दिनांक-21.03.16 एवं आवंटनादेश सं०-159 दिनांक- 21.03.16 द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी कर बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना के पी०एल०खाता-PLA-264 में ₹1054.96 लाख संधारित किया गया था। विभागीय पत्रांक-644 दिनांक-09.03.17 एवं पत्रांक-1169 दिनांक-15.03.17 द्वारा मिशन के पी०एल०खाता में संधारित राशि जिलों को विमुक्त की गयी थी। परन्तु मिशन के पत्रांक-1081 दिनांक-14.09.2017 एवं पत्रांक-33 दिनांक-08.01.18 द्वारा पी०एल०खाता में संधारित राशि ₹1054.96 लाख में से ₹304.96 लाख राज्यकोष में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने की सूचना दी गयी है। तदालोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹304.96 लाख (तीन करोड़ चार लाख छियानवें हजार) मात्र आवंटित की जा रही है।

4- इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगे।

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक-11015 /01/2015-SG-II, दिनांक-30.04.2015 द्वारा स्वीकृत एवं मंत्रालय के पत्रांक-11015 /01/2015-SG-II, दिनांक-12.06.2015 द्वारा विमुक्त ₹ 304.96 लाख आवंटित की जा रही है।
- 7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।
- 8- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।
- 9- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।
- 10 -कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक 16/3/18

ज्ञापांक -6/डी0-पी0ए0सी0-06/03/2014- 156 पटना, दिनांक-16.03.18
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 16/3/18

ज्ञापांक 6/डी0-पी0ए0सी0-06/03/2014- 156 पटना, दिनांक-16.03.18
प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु0)/संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी0)/ 8(डी0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 16/3/18

ज्ञापांक 6/डी0-पी0ए0सी0-06/03/2014 156 पटना, दिनांक-16.03.18
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11015 /01/2015- SG II दिनांक-12.06.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक 16/3/18

वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास हेतु अनु० जनजाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आवंटित राशि की विवरणी। •

विपत्र कोड-44-2225021020202 - विषय शीर्ष-0202.21.01- सामग्री एवं आपूर्ति

क्रमांक	जिला का नाम	2011 जनगणना के अनुसार जिलावार अनु० जनजातियों की जनसंख्या	दुध उत्पादन	कुक्कुट पालन	मत्स्य विकास	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सारण	36786	260800	330000	156000	746800
2	गोपालगंज	60807	521600	330000	312000	1163600
3	कैमूर	57981	652000	660000	260000	1572000
4	जमुई	78793	782400	660000	364000	1806400
5	रोहतास	31650	260800	330000	156000	746800
6	प० चम्पारण	250046	2317600	2900000	1214000	6431600
7	बौका	90432	912800	990000	416000	2318800
8	भागलपुर	67180	782400	660000	312000	1754400
9	सिवान	87000	782400	990000	416000	2188400
10	बक्सर	26824	260800	330000	104000	694800
11	पूर्णियां	139490	1304000	1650000	676000	3630000
12	कटिहार	179971	1695200	1980000	884000	4559200
13	किशनगंज	64224	652000	660000	312000	1624000
14	अररिया	38848	391200	660000	208000	1259200
	कुल योग	1210032	11576000	13130000	5790000	30496000

(तीन करोड़ चार लाख छियान्चे हजार रुपये मात्र)


निदेशक

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग